आखिरी जांच: 23 अक्टूबर 2026 · Urban Development Department (urban local bodies), Government of Uttarakhand

Swayam Sahayata Samuh (DAY-NULM Self Help Groups of Urban Poor Women, Uttarakhand Urban Local Bodies)

शहरी आजीविका मिशन के तहत उत्तराखंड के शहरों की गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने में मदद मिलती है। समूह को एक बार की शुरुआती प्रोत्साहन राशि मिलती है और वह स्वरोजगार के लिए बैंक से कर्ज ले सकता है।

क्या मिल सकता है

मिशन के तहत बने हर समूह को भारत सरकार से एक बार प्रोत्साहन राशि मिलती है। समूह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोलता है, महिलाएं हर महीने बचत करती हैं और नगर निकाय समूह को स्वरोजगार के लिए बैंक से कैश क्रेडिट लिमिट का कर्ज दिलाने में मदद करता है। स्वरोजगार अपनाने वाले समूहों को केंद्र और राज्य सरकार से सब्सिडी भी मिल सकती है।

किसके लिए है

उत्तराखंड के किसी नगर निकाय क्षेत्र में रहने वाली गरीब महिलाएं, जिनके परिवार की आय मिशन की सीमा के भीतर हो।

मुख्य शर्तें

- महिला किसी नगर निकाय (नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत) के क्षेत्र में रहती हो
- परिवार की सालाना आय मिशन की सीमा से कम हो
- वह अपने वार्ड में बने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हो और उसके पास आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो हो

दस्तावेज़

- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन कैसे करें

1. अपने शहर के नगर निकाय कार्यालय से संपर्क करें। मिशन के कर्मचारी वार्डों में जाकर महिलाओं के साथ समूह बैठकें करते हैं।
2. बैठक के बाद महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाती हैं और किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में समूह का बचत खाता खुलवाती हैं।
3. सदस्य हर महीने बचत करते हैं और उन्हें स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके बाद नगर निकाय बैंक से कैश क्रेडिट लिमिट के कर्ज की कार्यवाही शुरू करता है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s36547884cea64550284728eb26b0947ef/uploads/2025/04/202504071160540553.pdf#page=88
आधिकारिक PDF: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s36547884cea64550284728eb26b0947ef/uploads/2025/04/202504071160540553.pdf#page=88
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/uttarakhand/uk-nulm-urban-shg-support/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।